न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट ढिगावडा)

वाद संख्या :— 02 / 80 / 2016

ओमकार बनाम मंगतूराम वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 12.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट ढिगावडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.05.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1432 / 0.03 है. गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 11.07.2016 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौका व कब्जे की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा दिनांक 02.01.2017 को पेश होने के बावजूद उनकी ओर से आज दिनांक तक जवाब पेश नहीं हुआ। प्रकरण में टी.आई. आदेश का प्रचलन 2016 से विचाराधीन है। जवाब के अभाव में प्रकरण का आज दिनांक तक निस्तारण भी नहीं हो सका। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1432 / 0.03 है. गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 20.05.2016 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 कैम्प कोर्ट ढिगावडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट ढिगावडा)